वकील पक्षकारान द्वारा बहस की गई,
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश
प्र. पत्र निर्णय 29.1.25 को पेश हो।

29.1.25 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान उप। प्रा. पत्र. प्रार्थी स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा-पत्रा. किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 4/2021

तारीख दायरा 05.03.2021

उनवान

मोहनलाल पुत्र हरदेव मुतवन्ना प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. बूल्या पुत्र प्रताप जाति नायक निवासी ग्राम लबानिया तहसील सांगोद।
2. कल्याणीबाई पत्नी स्व० बद्रीलाल जाति मीणा,
3. रामचन्द्र पुत्र स्व० बद्रीलाल जाति मीणा,
4. घनश्याम पुत्र स्व० बद्रीलाल जाति मीणा,
5. सत्यनारायण पुत्र स्व० बद्रीलाल जाति मीणा,
6. सुलोचना पुत्री स्व० बद्रीलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री अमित पांचाल (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 29/01/2025

श्री अशोक कुमार जैन (वकील अप्रार्थी सं.1)

श्री उद्वल सिंह मीणा (वकील अप्रार्थी सं.2 ता 6)

––निर्णय––

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के एकल खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लबानिया पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 84 के खसरा न० 132 की 0.70 हेक्टर, खसरा न0 150 की 0.80 हेक्टर, खसरा न0 163 की 0.57 हेक्टर, खसरा न0 168 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 169 की 0.75 हेक्टर, खसरा न० 170 की 0.58 हेक्टर, खसरा न० 77 की 0.25 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 3.66 हेक्टर आराजी स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी न0 1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लबानिया पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स० नई 68 के खसरा न० 172 की 0.85 हेक्टर, खसरा न0173 की 0.73 हेक्टर, आराजी स्थित है। अप्रार्थी न01 के खाते की उक्त आराजी प्रार्थी के खसरा न० 170 की आराजी के लगवा स्थित है। तथा इसी प्रकार अप्रार्थी न० 2 लगायत 6 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लबानिया पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स० नई 159 की आराजी अप्रार्थी न01 के खसरा न० 173 के लगवा स्थित है तथा खसरा न० 159 कोटा धरनावदा स्टेट हाईवे के लगवा स्थित है।

प्रार्थी कोटा धरनावदा स्टेट हाईवे से पश्चिमी तरफ मुडकर अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 के खसरा न० 159 की उत्तरी मेड से होते हुए अप्रार्थी सं 1 के खसरा न० 172, 173 की उत्तरी मेड से होते हुए अपने खसरा न० 170 में जाता रहा है तथा अपने कृषि यन्त्र साधन ट्रेक्टर ट्रोली, कम्बाइन्ड मशीन आदि लाता ले जाता रहा है। आप्रार्थी न०1 द्वारा प्रार्थी को आने जाने में परेशानी उत्पन्न की जा रही है तथा लडाई झगडा करने पर आमादा है। अप्रार्थी न०1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जो लडाई झगडा कर प्रार्थी को धारा 3 व अन्य झूठे प्रकरण में फसाने की धमकी देता है, जबकि अप्रार्थी न01 द्वारा प्रार्थी को आने जाने के लिए दिनांक 26.1.1987 बरोज सोमवार को 15 फुट चौडा रास्ता वादी के खेत में जाने के लिए दिया था, जिसके बदले रास्ते की भूमि की तत्कालीन कीमत रूपये 1500 अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये गवाहान रामकिशन मीणा, बंशीलाल गोचर, राधेश्याम वैष्णव, मांगीलाल के समक्ष प्राप्त कर स्वयं हस्ताक्षर करके दो रूपये के स्टाम्प पर एक तहरीर कर दिया था. लेकिन अप्रार्थी सं 1 अनुसूचित जाति का होने के कारण उक्त आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज नहीं हो पायी, लेकिन प्रार्थी रास्ते के रूप में उक्त क्रय किये गये रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग पूर्व से करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त रास्ते की भूमि अप्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज होने से अप्रार्थी न0 1 के मन में लालच आ गया है और प्रार्थी को अपने खसरा न० 170 में आने जाने से रोक रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के खेत खसरा न० 170 में आने जाने का उक्त रास्ता ही वर्षों पुराना एक मात्र रास्ता है, जिसकी भूमि की एवज में अप्रार्थी ने राशि भी प्राप्त कर ली है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खसरा न० 170 की आराजी में प्रार्थी कोटा धरनावदा स्टेट हाईवे से पश्चिमी तरफ मुडकर अप्रार्थी कम 2 ता 6 के खसरा न० 159 की उत्तरी मेड से होते हुए अप्रार्थी सं 1 के खसरा न० 172, 173 की उत्तरी मेड से होते हुए अपने खसरा न० 170 में जाता रहा है तथा अपने कृषि यन्त्र साधन ट्रेक्टर ट्रोली, कम्बाइन्ड मशीन आदि लाता ले जाता रहा है। जिसकी प्रतिफल राशि अप्रार्थी न0 1 ने दिनांक 26.1.87 को 1500 रूपये तत्कालीन मूल्य अनुसार प्राप्त कर लेने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण से 15 फुट चौडा रास्ता खसरा न० 172, 173 की आराजी मे से उत्तरी मेड पर दिलाया जावे तथा उक्त रास्ता वर्षों पुराना रास्ता होने से उक्त रास्ते को पूर्ववत खुलासा कराये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाये जावे। उक्त 15 फुट चौडा रास्ता जो प्रार्थी का क्रयशुदा है, जो खसरा न० 170 की मेड तक जा रहा है, को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाने के आदेश पारित फरमावे। साथ ही अप्रार्थीगण को पावन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त रास्ते का पूर्ववत उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार से अवरोध या बाधा पैदा नहीं करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री उद्वल मीणा द्वारा तथा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। कई बार अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण 1 ता 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थीगण 1 ता 6 बंद किया गया।

प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख.न. 170 पर पहुंचने का कोई रास्ता दर्ज नहीं है और ना ही मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। ख.न. 170 में पहुंचने का सबसे नजदीकी रास्ता ख.न. 159, 172, 172 एवं 174 की मध्य की मेड से ही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का क्षेत्रफल कुल 696 वर्ग मीटर (ख.न. 159 में लम्बाई 36 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर, ख.न. 173 में लम्बाई 45 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर, ख.न. 172 में लम्बाई 63 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर) है। उक्त रास्ते हेतु डी. एल.सी. दर 1092791 प्रति हैक्टेयर (0 से 100 मीटर के मध्य) एवं 1050761 प्रति हैक्टर (101 से 500 मीटर के मध्य) है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया।

मेरे द्वारा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा तहरीर दिनांक 26.01.1987 दो रूपये के स्टांप की नकल प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेज सक्षम स्तर से प्रमाणित होने के अभाव में न्यायालय में पढने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया। न्यायालय में निर्णित प्रकरण संख्या 02/2021 अंतर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट में दिनांक .... को ख.न. 159 की उत्तरी दिशा में 144 वर्ग मीटर (36 मीटर पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा 4 मीटर उत्तर दक्षिण चौडाई) का रास्ता दर्ज करने के आदेश पूर्व में ही पारित किये चुके हैं। अतः उक्त भूमि को हस्तगत प्रकरण में सम्मिलित करते हुए आदेश करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अन्य समस्त रेकार्ड के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की आराजी ख.न. 170 पर पहुँच हेतु रेकार्डेड अथवा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश प्रदान किए जाते हैं कि –

माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में प्रार्थी के खाता स० नई 84 के खसरा न० 132 की 0.70 हेक्टर, खसरा न0 150 की 0.80 हेक्टर, खसरा न0 163 की 0.57 हेक्टर, खसरा न0 168 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 169 की 0.75 हेक्टर, खसरा न० 170 की 0.58 हेक्टर, खसरा न० 77 की 0.25 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 3.66 हेक्टर आराजी में पहुंचने के लिए ग्राम लबानिया तहसील सांगोद में स्थित अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की खसरा न0 172 की 0.85 हेक्टर भूमि में उत्तरी मेड के समीप 63 मीटर पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा 4 मीटर उत्तर दक्षिण चौडाई की भूमि कुल 252 वर्ग मीटर भूमि को तथा खसरा न0 173 की 0.7156 हेक्टर भूमि में उत्तरी मेड के समीप 75 मीटर पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा 4 मीटर उत्तर दक्षिण चौडाई की भूमि कुल 300 वर्ग मीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे। ख0स0 172, 173 के रास्ते हेतु दी गई भूमि 552 वर्ग मीटर के एवज में प्रार्थी की आराजी ख.न. 170 रकबा 0.58 है. भूमि की पूर्वी दिशा में से 552 वर्ग मीटर भूमि अप्रार्थी सं 1 के खाते दर्ज की जावें। उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। रास्ते हेतु दर्ज भूमि पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद